इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 545] भोपाल, बुधवार, दिनांक 30 नवम्बर 2011—अग्रहायण 9, शक 1933

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2011

सूचना

क्र. एफ 1-3-2008-बाईस-पं-2.—मध्यप्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008 में उस संशोधन का जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) की धारा 70 की उपधारा (2) के साथ सहपठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, निम्नलिखित प्रारूप, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन के अवसान हो जाने पर उक्त प्रारूप संशोधन पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त संशोधन प्रारूप के संबंध में, किसी भी व्यक्ति से उपरोक्त विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान होने पर या उसके पूर्व प्राप्त हो राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. उक्त नियमों में, अनुसूची-दो के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :—

अनुसूची-दो

[नियम-2 (घ)]

अध्यापक संवर्ग के लिए शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संबंधी अर्हताएं

अनुक्रमांक	अध्यापक संवर्ग का वर्गीकरण	शैक्षणिक एवं शिक्षण प्रशिक्षण संबंधी अर्हता	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)
1	वरिष्ठ अध्यापक	संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बी. एड. या उसके समकक्ष	संस्कृत पाठशाला के वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) के लिए न्यूनतम अर्हता संस्कृत साहित्य/व्याकरण आदि में मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय में द्वितीय श्रेणी में आचार्य उपाधि होगी.

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	अध्यापक	"संबद्ध विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्ष. या संबद्ध विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा बी. एड. या संबद्ध विषय में कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानक तथा प्रक्रिया) विनियम, 2002 के अनुसार बी. एड. या कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी प्रमाण-पत्र परीक्षा तथा प्रारंभिक शिक्षा बी. एल. एड में स्नातक. या कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी प्रमाण-पत्र परीक्षा तथा बी.ए/बी.एस.सी.एड. के साथ संबंद्ध विषय में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि. या कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ संबद्ध विषय में स्नातक उपाधि तथा बी. एड. (विशेष शिक्षा).".	संस्कृत पाठशाला के अध्यापक (संस्कृत) के लिए न्यूनतम अर्हता संस्कृत साहित्य/व्याकरण आदि में मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय में द्वितीय श्रेणी में शास्त्री उपाधि होगी.
3	सहायक अध्यापक	"कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी प्रमाण-पत्र परीक्षा (या उसके समकक्ष) तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय पत्रोपाधि (डिप्लोमा).". या "कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी प्रमाण-पत्र परीक्षा (या उसके समकक्ष) तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय पत्रोपाधि (डिप्लोमा).".	(1) संस्कृत पाठशाला के सहायक अध्यापक (संस्कृत)के लिए संस्कृत साहित्य/व्याकरण आदि में मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से संस्कृत में उत्तर, मध्यमा, न्यूनतम अर्हता होगी. (2) सहायक अध्यापक (संगीत/तबला शिक्षक) के लिए मान्यता प्राप्त संस्था से संगीत प्रमाण पत्र न्यूनतम अर्हता होगी. (3) सहायक अध्यापक (व्यायाम शिक्षक) के लिए उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा के अतिरिक्त किसी मान्यता प्राप्त संस्था से शारीरिक शिक्षा का प्रमाण-पत्र न्यूनतम अर्हता होगी. (4) संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 (प्रयोगशाला) के लिए न्यूनतम अर्हता विज्ञान विषय के साथ कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी प्रमाण-पत्र परीक्षा या उसके समकक्ष होगी.

(1)	(2)	(3)	(4)
		या "कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी प्रमाण-पत्र परीक्षा (या उसके समकक्ष) तथा प्रारंभिक शिक्षा (बी.ई.एल.एड.) में चार वर्षीय स्नातक उपाधि.". या "कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी प्रमाण-पत्र परीक्षा (या उसके समकक्ष) तथा शिक्षा (विशेष शिक्षा) में 2 वर्षीय पत्रोपाधि (डिप्लोमा).".	

टिप्पण.— 1. अध्यापक संवर्ग के पद मध्यप्रदेश पंचायत शिक्षाकर्मी (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 1997 के अधीन नियुक्त किये गये शिक्षाकर्मियों के संविलियन से भरे जायेंगे.

2. मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 के अधीन नियुक्त किये गये संविदा शाला शिक्षक तीन वर्ष की संविदा कालावधि पूर्ण होने के पश्चात् अध्यापक संवर्ग में नियुक्त किये जाएंगे.

3. अध्यापक संवर्ग में कोई सीधी भर्ती नहीं की जाएगी.

4. (क) संबद्ध विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा बी. एड. अथवा संबद्ध विषय में कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानक तथा प्रक्रिया) विनियमों, के अनुसार शिक्षा में स्नातक (बी. एड.) दिनांक 1 जनवरी, 2012 तक सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति का भी पात्र होंगा, बशर्ते कि उसने नियुक्ति के पश्चात् राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से प्रारंभिक शिक्षा में 6 मास का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त लिया हो.".

(ख) डी. एड. (विशेष शिक्षा) अथवा बी. एड. (विशेष शिक्षा) अर्हता रखने वाले व्यक्ति को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्रदत्त 6 महीने का विशेष कार्यक्रम पूरा करना हेगा.

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदि जैसी आरक्षित श्रेणियों के अभ्यार्थियों को अर्हक अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी".

2. यह संशोधन इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हीरालाल त्रिवेदी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2011

पृ.क्र. एफ 1-13-2008-बाईस-पं-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 1-13-2008-बाईस-पं-2, दिनांक 30 नवम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हीरालाल त्रिवेदी, सचिव.

Bhopal, the 30th November 2011

NOTICE

No. F. 1-3-2008-XXII-P-2.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Panchayat Adhyapak Samvarg (Employment and Conditions of Services Rules 2008, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with sub-section (2) of Section 70 of the

Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) is hereby published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendment will be taken into consideration on the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft of amendment on or before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

(1) In the said rules, for Schedule II, the following schedule shall be substituted, namely :—

"SCHEDULE
[Rule 2(d)]

Educational and training qualification for Adhyapak Samvarg

S. No. (1)	Classification of Adhyapak Samvarg (2)	Educational & Teaching Training qualification (3)	Remarks (4)
1	Varisth Adhyapak	Masters Degree in the relevant subject with bachelor of Education (B.Ed.) or its equivalent.;	The minimum qualification for Varishth Adhyapak (Sanskrit) of Sanskrit School shall be Acharya degree in II division in Sanskrit Literature/Grammer etc. from recognized Institution/University.
2	Adhyapak	"Bachelor Degree in the relevant subject and 2 years Diploma in Elementary Education or its equivalent. OR Bachelor Degree in the relevant subject with at least 50% marks and Bachelor in Education (B.Ed.) OR Bachelor Degree in the relevant subject with at least 45% marks and Bachelor in Education (B.Ed.) in accordance with the NCTE (recognition Norms and Procedure) Regulations, 2002. OR Higher Secondary Certificate Examinaion with at least 50% marks and Bachelor in Elementary Education (B.El.Ed.) OR Higher Secondary Certificate Examinaion with at least 50% marks and 4 years Bachelor Degree in the relevant subject with Bachelor in Education (B.A./B.Sc.Ed.). OR Bachelor Degree in the relevant subject with at least 50% marks and Bachelor in Education (Special Education).";	The minimum qualification for Adhyapak (Sanskrit) of Sanskrit School shall be Shastri degree in II division in Sanskrit Literature/ Grammer etc. from recognized Institution/University.

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Sahayak Adhyapak	"Higher Secondary Certificate Examinaion with at least 50% marks (or its equivalent) and 2 years Diploma in Elementary Education. OR "Higher Secondary Certificate Examinaion with at least 45% marks (or its equivalent) and 2 years Diploma in Elementary Education in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2002. OR "Higher Secondary Certificate Examinaion with at least 50% marks (or its equivalent) and 4 years Bachelor in Elementary Education (B.El.Ed.) OR "Higher Secondary Certificate Examinaion with at least 50% marks (or its equivalent) and 2 years Diploma in Education (Special Education).".	(1) The minimum qualification for Sahayak Adhyapak (Sanskrit) of Sanskrit School shall be Utter Madhyama in Sanskrit Literature/Grammer etc. from recognizd Institution/Board. (2) The minimum qualification for Sahayak Adhyapak Music/Tabla teacher) shall be certificate in Music from recognized Institution. (3) The minimum qualification, for Sahayak Adhyapak (Physical Instructor) shall be certificate of Physical Education from any recognized Institution in addition to Higher Secondary Certificate Examination. (4) The minimum qualification for Sahayak Adhyapak (Laboratory) shall be Higher Secondary Certificate Examination with Science subjects or equivalent and the Teaching Training Qualification in not necessary.";

Note.—

1. The posts of Adhyapak Samvarg shall be filled up by merger of the Shikshakarmies appointed under the Madhya Pradesh Panchayat Shikshakarmi (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1997.

2. The Samvida Shala Shikshak appointed under the Madhya Pradesh Panchayat Samvida Shala Shikshak (Employment and Condition of Contract) Rule, 2005 shall be appointed in the Adhyapak Samvarg after completing the three years Samvida period.

3. No direct recruitment shall be made in the Adhyapak Samvarg.

4. (1) Bachelor Degree in the relevant subject with at least 50% marks and Bachelor in Education (b.Ed.) or Bachelor Degree in the relevant subject with at least 45% marks and Bachelor in Education (B.Ed.) in accordance with the NCTE (Recognition Norms and procedure) Regulations issued from time to time in this regard, shall also be eligible for appointment as Sahayak Adhiyapak upto 1st January. 2012. provided he undergoes. after appointment NCTE recognized 6 months special programme in Elementary Education.

(2) with D. Ed. (Special Education) or B. Ed. (Special Education) Qualification shall undergo, after appointment an NCTE recognized 6 month Special programme in Elementary Education.".

(3) Relaxation upto 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to reserved categories, such as SC/ST, etc.

2. This amendment shall come into force from the date of publication of this notification in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

HEERALAL TRIVEDI, Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.